[Mr. Chairman]

Business the matter is not pressed further. There should be unanimity. If all the sides agree we can take a decision on this question. I do not think we can go by a vote of the House on this. Therefore, as certain hon. Members and leaders of parties have expresed their disapproval I do not think there is any point in pursuing the matter. We will not take up Private Members' Business.

SHRI GOVINDA MENON : Let us meet tomorrow.

MR. CHAIRMAN: You can bring a proposal and we will consider it.

SHRI A. S. SAIGAL: There is already a motion moved by Shri Narendra Singh Mahida.

MR. CHAIRMAN: He may give it in writing and I will consider it.

15.07 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-FIRST REPORT

SHRI S. M. SOLANKI (Gandhinagar): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Fifty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 30th July, 1969."

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That this House do agree with the Fifty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 30th July, 1969."

The motion was adopted.

15.07½ hrs.

RESOLUTION RE: ABOLITION OF PRIVY PURSES—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Rabi Ray on the 9th May, 1969:—

"This House is of opinion that the continuation of tax free payment of privy purses to the former rulers of Indian States and of special privileges is against the democratic and egalitarian principles enshrined in the Constitution, and therefore recommends to the Government to take all necessary steps, both executive and legislative, to complete the abolition of these payments, subject to an outright rehabilitation lump-sum payment of seven times the annual privy purse amount or a sum of one million rupees, whichever is smaller, by the 2nd October, 1969."

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Sir, I would request you to stick to the time schedule so that third resolution about the activities of Naxalites is given at least one minute, to be moved.

SHRI N. DANDEKER (Jamnagar): Mr. Chairman, Sir, in opposing this Resolution, suggesting the abolition of Privy Purses, I would like to take the House back to the years in which the negotiations were undertaken with the Rulers and these Agreements relating to Privy Purses were signed. I had the privilege at that time to be working as one of the back-room boys in the States Ministry where Sardar Patel was handling this problem at the political level, assisted by Mr. V. P. Menon; and happily I was one of those in the background who had a great deal of work to do in that connection. So I want the House to bear with me for a while, and go back with me to recapture and appreciate the atmosphere in which this whole exercise if integrating India was undertaken.

In 1947, the British Parliament passed what was known as the Indian Independence Act, consequent upon which there was not only the partition of the country into Pakistan and India but also the setting up of the Constituent Assembly for the purpose of drafting the Constitution of this country. At the same time, by section 7 of the Indian Independence Act, all treaties, obligations, understandings, usages, sanads etc. relating to all matters between the Rulers of the Indian States and the then British Government were

expressly extinguished and came to an end. I want the House to appreciate the resultant situation that in so far as even the nebulous doctrine of paramountcy and so on was concerned, including all the treaties and sanads and obligations and usages and understandings and the whole lot, — they were expressly extinguished by section 7 of the Indian Independence Act, and therefore the Indian States became Independent entities.

I want also to remind the House that the Indian Independence Act was drafted after continuous consultation with the leaders of Indian National Congress, on the one side, and the leaders or those who were going to be leaders in Pakistan, on the other, and every clause in the Indian Independence Act including the abrogation or termination of all the treaties and obligations vis-a-vis the Rulers was part of the overall agreement at that time under which the Indian Independence Act was passed.

Now, Sir, we go to step No. 2. We had immediately to undertake with all the Rulers a series of agreements, commonly known as Stand-still Agreements, so that there would not suddenly be a vacuum in regard to the close relationship between the Indian States and what was then known as British India or the Dominion of India, with the object that things might go on uninterruptedly in a continuous way in regard to the various practical matters concerning which there were pre-existing treaties of various kinds. And the Rulers, I am glad to say everyone of them in fact without exception, signed the Stand-still Agreements so that both for the convenience of the Dominion India, that is, the old British India, and for the convenience of their respective States, the pre-existing arrangements as regards communication, transport and a number of other economic matters could continue without any kind of a hiatus or break.

Then followed in most cases, though not in all, a series of agreements known as Accession Agreements. Under those agreements, the rulers acceded to the then Dominion of India in regard to such all India matters as defence, communications, foreign policy etc. Again, these were voluntary agreements entered into with virtually independent States over whom the then Government of the Dominion of India had no sovereignity, suzeraity or any other jurisidction whatsoever. These were agreements entered into between equals for the purpose of voluntarily coalescing with the Dominion of India only in regard to certain specific matters known as the "subjects on which there was accession," that is to say, communications, defence and foreign policy.

Then, finally, came those very difficult negotiations which eventually resulted in the actual merger of the States themselves, in totality, with the then Indian Provinces or into Unions of States in some cases. In the case of Rajasthan, for instance, there was a Union of the States of Rajasthan. In the case of Madhya Bharat, there was a union of the States of the Madhya Bharat region. In the case of Saurashtra, there was a union of the States in the Saurashtra region. Certain States on the other hand were largely viable, like, for instance, Mysore etc. were retained in tact in the Dominion of India. There was also a Union of Travancore-Cochin states. In regard to all these, there were voluntary and solemn Treaties between the States & the Dominion of India, at a time when there was no Constitution of India but only the Government of India Act, 1935 as amended by the Indian Independence Act. They were voluntary, equal-status. Treaties as between the Rulers and the Government of India Dominion of India as it then was.

And in every one of those Treaties and Agreements relating to the merger of the States, either into the Indian Provinces or into the Union States as they were then formed, there were provisions among other things relating to the Privy Purses and the Privileges of the Rulers.

I want to emphasize this and I want particularly to take the House into the kind of atmosphere, the tense atmosphere when we started this exercise and the tremendous sense of relief, elation and pride when we concluded the treaties ; relief because the sense of tension arising out of all sorts of alternative but dangerous possibilities was dissipated ; and elation and pride, because we were determined and we succeeded in seeing that the Rulers were with us in our joint and grand endeavour to bring the whole territorial mozaic into country, half of which

[Shri N. Dandeker]

was the Dominion of India and the other half consisted of a number of Indian States. We were thus engaged in this tremendous exercise of bringing these two together to form one Union of India. And among the undertakings that were then given to the Rulers, one was that they need not worry that consequent upon the merger of the States into the Dominion of India Commitments concerning Privy Purses would be forgotten. There was an under-taking that these commitments would be embodied in the relevant provisions of the Indian Constitution itself, to show that it was not a mere voidable agreement between two parties. Consequently, I would like this House to address itself to some simple but very important facts.

MR. CHAIRMAN : He should remember that the time at our disposal is very limited.

SHRI N. DANDEKER : If you want me to shut up, I will.

MR. CHAIRMAN : I will never say that.

SHRI N. DANDEKER : Sir, I feel very strongly about this. I was actively associated with the dynamic process for the creation of this unified country and I hope I am not going to be restrained by just a matter of five or ten minutes.

I want to impress upon this House just what it was that we did at that time. We, the Dominion of India, and they, the Rulers of their respective States, entered into solemn pre-Constitution agreements as between Independent sovereign powers entering into treaties, almost on the same equal level, though I grant that they had already acceded in certain respects by the Treaties of Accession. Our whole claim in relation to Kashmir, our entire claim in relation to Kutch such as it was, all these claims are geared to these Accession Treaties and, therefore, these accession treaties and the subsequent merger Treaties with the Rulers have international connotation. Let us not forget it; or that the commitments arising out of these Treaties, both territorial as well as financial were embodied in the Constitution itself.

Therefore, sir, what is involved now, what is involved in this Resolution is not that we abrogate, but that we should unilaterally repudiate these Treaties that is the word which I must we should use. The suggestion is that we repudiate those solemn agreements entered into betweeen us and the then Rulers in good faith and then subsequently embodied into the Constitution, without which there would have been no Constitution of the Union of India. It is now suggested that we should repudiate the consequential obligations solemnly incorporated into the Constitution.

My second point is this. The motion says that in view of the concepts of democracy and equality embodied in the constitution the concept of Privy Purses is out of date. But, Sir, just as the concepts of equality and social justice are embodied in the Constitution, so too are the results of these agreements; neither of them is superior to the other; they have the same constitutional validity and sanctity. The principles of social democracy and equality are sanctified by the Constitution; the same Constitution sanctifies also those obligations which the new sovereign State, the Republic of India, as we call it, accepted at that time. Therefore, my second point is that no contradiction in terms is involved, because both of them are constitutionally sanctified; that is to say, the concepts of equality, democracy and so forth, all of which we have embodied in the Constitution, are as important but no more important than those consequential clauses of those Agreements and Treaties with the Rulers that have also been embodied in the Constitution.

Therefore, sir, I will conclude by saying that I cannot even think of or ever concede the validity of an act of a gross or rather the grossest repudiation of agreements and obligations honorably, solemnly and in good faith entered into and undertaken. I would beg of the House, not just as members of one party or another but as honourable Members of this House, people who have quite rightly a certain dignity and status, who are called not only by ourselves but by outsiders also as honourable Members of this House—let us have some sense of dignity and honour in regard to the observance of solemn agreements. Let us not talk lightly

about repudiating them in easy terms of supposed change of circumstances, or that they are contrary to the social and other values in the constitution, for they too are also embodied in the Constitution. I therefore submit, sir, that this Resolution ought to be rejected.

MR. CHAIRMAN: Ths time allotted for this Resolution is almost over and many major parties have not participated in the debate. On such an important Resolution I think, at least the representative of the major parties should be given a chance.

SOME HON. MEMBERS: We should also be given some time.

MR. CHAIRMAN: That automatically means that on this side also some hon. Membrs will get a chance.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: This Resolution was discussed in the last session and is just a carry-over. I think, only half an hour or so was left for this Resolution according to time that was allotted. The second Resolution has been given two hours. That happens to be in my name. I would submit that some time should be kept for that Resolution also.

MR. CHAIRMAN: Of course; that time wlil never be cut. So, what is the idea ? Members should be very brief. That is the first thing.

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool): Kindly give me one minute to move my Resolution.

MR. CHAIRMAN: Let us see. Shri Randhir Singh.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, यह रिज़ोल्यूशन जो हाउस के सामने है यह मुल्कगीर और आलमगीर अहमियत का हामिल है । बहुत बड़ी इसकी अहमियत है और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी और उसके लीडर, होम मिनिस्टर ने इस मामले को पहले उठाया है और मेरे भाई जो इस वक्त को यहां लाये हैं वह तो उसी तरह से है जैसे एक बड़ी दूकान के सामने अपना खोखा रख लिया । काम हम कर रहे हैं और नाम यह कमाना चाहते हैं । तो मुझे कोई एतराज नहीं इस बात से अगर हमारे भाई ऐसा करें । थोड़ी बहुत इनको भी क्रैडिट मिल जाये, मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन यह नीबू निचोड़ की बात होगी कि एक आदमी ढाई रु० का खाना ले और दूसरा एक नीबू लेकर कहे कि देखो नीबू कितना अच्छा है । तो चूंकि कांग्रेस अच्छे काम कर रही है, नेशनेलाइज़ेशन किया, प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहती है, और अर्बन प्रौपर्टी की सीलिंग भी करने वाली है, तो यह भाई सोच रहे हैं कि मामला क्या है? सारे काम तो इन्होंने कर दिये अब हमारे लिये रह ही क्या गया है, हमारी दुकान में सौदा रहा नहीं हम बेचेंगे क्या । हमारे हलवे भांडे खत्म हो गये । फिर भी मैं इस रिज़ोल्यूशन की स्पिरिट के पक्ष में हूं और चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इस काम को करें । भले काम में देरी क्या । नेकी कर दरिया में डाल । सारा देश आप के साथ है ।

दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहां प्रिवी पर्सेज़ हों । और देशों में भी मोनार्की है, नेपोलियन को पूजा जाता है, उसके डिसेंडेंट हैं, रूस में ज़ार की हुकूमत थी वहां भी कनटेन्डर्स मिलते हैं, स्पेन में भी है, लेकिन कहीं प्रिवी पर्सेज़ नहीं हैं । फिर इस गरीब देश में इसको क्यों रखा जाता है । हमारा देश बड़ा अमीर है क्या ? अगर नहीं तो फिर यह चीज़ क्यों चल रही है ।

मेरे भाई ने कहा कि मौरेल आबलीगेशन है । करोड़ों रु० का सवाल है जबकि देश की बेहतरी के लिये हम एक एक रुपया बचा कर उन्नति के कामों में लगाने की सोच रहे हैं । फिर करोड़ों रुपया क्यों दिया जाय ? यह पेंशन है क्या ? पेंशन दी जाती है जिसने नौकरी की हो उसके लिये । बुढ़ापे में तकलीफ़ न हो उस आदमी को इसलिये पेंशन दी जाती है । क्या यह तनख्वाह है ? काम कौन सा करते हैं जो तनख्वाह दी जाय । क्या यह जागीर है ? जागीर उसकी होती हैं जिस आदमी ने कोई बड़ा काम

[श्री रणधीर सिंह]

किया हो देश के लिये। क्या यह इनाम है ? इनाम दिया जाता है कोई बड़ा बहादुरी का काम करने पर। क्या यह गिफ्ट है ? गिफ्ट भी नेशन और कम्युनिटी की सर्विस के एवज में दी जाती है। तो न तनख्वाह, न पेंशन, न जागीर, न गिफ्ट है। तो फिर है क्या ?

यह एक नारा है कि पब्लिक पौलिसी के खिलाफ़ कोई एग्रीमेंट हो तो वह ठीक नहीं होता। हमारी सरकार ने एग्रीमेंट किया लेकिन वह आज पब्लिक पौलिसी के खिलाफ़ है। कोई एग्रीमेंट अगर अंधेरे में पब्लिक पौलिसी के खिलाफ़ हो जाय तो वह एग्रीमेंट वायड होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत है। क्योंकि ध्येय समाज का यह होता है कि "वन हू डज़ नौट वर्क शैल नौट ईट।" जो आदमी काम नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलना चाहिये। इन राजाओं को किसी को 1 लाख, किसी को 10 लाख और निज़ाम को सुना जाता है कि एक करोड़ रु० सालाना दिया जाता है। जबकि काम कुछ नहीं करते। यह चीज़ कांस्टीट्यूशन के खिलाफ़ है। कहते हैं कि हम गिरायेंगे इस मूव को और देखेंगे कि कैसे यह पार्लियामेंट करती है। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि आदमी को औरत और औरत को आदमी तो नहीं बना सकती, लेकिन बाकी सब कुछ यह पार्लियामेंट कर सकती है। सिर्फ़ कुछ लोगों को छोड़कर सारे दल इसके हक में हैं। अगर एक दिन बैठ कर कांस्टीट्यूशन में संशोधन कर देंगे तो मामला सब खत्म हो जायेगा। न सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और न कहीं जा सकते हैं। तो जो मौरल आब्लीगेशन की बात भाई दांडेकर जी ने कही उससे काम नहीं चलेगा। अगर शरमिन्दाना जहनियत है तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर हम इसको अबालिश करते हैं तो इंटरनेशनली हमारी पोज़ीशन साफ़ होगी।

हमारी पार्टी का प्रोग्राम है, गांधी जी, जवाहर लाल जी और सबका प्रोग्राम है जिसको हम तय करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के नाम ए०आई०सी०सी० की तरफ़ से डाइरेक्टिव है कि इस काम को किया जाए और उसको हम करना चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस काम में अब देरी नहीं होनी चाहिये।

इस मामले में हमें गांधी जी का उसूल याद रखना है, और मैं खास तौर पर रूलर्स को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे रूलर्स भी हैं जैसे बीकानेर के, पटियाला, के जिन्होंने अपील करते ही देश के साथ इंटेगरेट किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह वौलेन्टेरिली कहें कि हम प्रिवी प्रर्स को छोड़ते हैं। वे पेट्रियाटिक बनें, और कमा कर खायें। मुफ्त की कमाई ठीक नहीं होती। मेहनत करके खायें। मैं रूलर्स को रूलर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि उनमें से बहुत-से हमारे रूलर्स एम०पीज़० हैं और इनको वौलेन्टेरिली सामने आना चाहिये और होम मिनिस्टर से कहना चाहिये कि हम प्रिवी पर्सेज़ नहीं चाहते हैं। और ऐसा कानून यहां पास करने की ही जरूरत न पड़े। अगर वह ऐसा करेंगे तो देश उनकी इज्ज़त करेगा और हम चाहेंगे कि लगातार चुन कर वह पार्लियामेंट में आयें और नेता बनते रहें।

इसलिये मैं रिज़ोल्यूशन की स्पिरिट की ताईद करता हूं। लेकिन अपने भाई से कहूंगा कि तुम अहसान क्यों ले रहे हो। वह तो हम करने ही जा रहे हैं। जिस तरह से नैशनेलाइ-ज़ेशन हुआ है, दो हफ्ते के अन्दर इसका भी ऐलान कीजिये और अगर यह हमारे और आप के लिये शरह है इसको ले लीजिये और देश आप का एहसान मानेगा।

मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, राजा महाराजाओं को दिये जाने वाले प्रिवी पर्स का मामले हमारे राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए और हमारे जनतंत्र

के लिए खतरे का विषय बन गया है। मैं पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता हूं। दांडेकर जी ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उससे पहले, अंग्रेज़ों के आने के पहले भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के पहले राजा महाराजाओं ने उनका मुकाबला किया था और उनके जो कारनामे थे उनसे हम प्रभावित भी हुए थे। लेकिन जब हम गुलाम हो गए तो इन गुलामी की जंजीरों को मजबूत बनाने में राजे महाराजे जिस तरह से अंग्रेजों के मददगार साबित हुए, उस इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। उनका जो दो सौ बरस का इतिहास रहा है वह कलंक का इतिहास रहा है। वह पवित्र इतिहास नहीं रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास नहीं रहा है। 1947 के बाद भी हम जानते हैं कि वह कलंक का ही इतिहास रहा है। अंग्रेज जब भारत से गया तो वह भारत को 608 हिस्सों में बांट कर चला गया। उसके बाद जन आन्दोलन हुए। हम सभी जानते है कि सभी देशी रियासतें राजाओं की मर्जी से भारत में विलीन नहीं हुई। तेलेंगाना में विद्रोह हुआ। किसान हथियार लेकर निकले निजाम की हकूमत के खिलाफ़। उस वक्त भारत सरकार के खिलाफ़ निज़ाम साजिश कर रहे थे। वह अपना अलग अस्तित्व बनाये रखना चाहते थे। अमरीका और अंग्रेज उनका साथ दे रहे थे। लेकिन जो जन आन्दोलन चला उसके सामने वह टिक नहीं सके और उनको भारत में शामिल होना पड़ा।

जब देशी रियासतें भारत में मिलीं तो उसके बाद राज प्रमुख कुछ राजे बने। उनको हमने हटाया। हम आगे बढ़े। एक बहुत बड़े खतरे का रूप यह ले रहा था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लार्ड माउंटबेटन ने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने उनसे कहा था कि राजा महाराजाओं की थैलियां आप खत्म मत कीजिये। यह एक गम्भीर बात थी, एक खतरे की निशानी थी। मैंने इस सवाल को उठाया था। प्रधान मंत्री ने इसका लिखित उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह व्यक्तिगत चिट्ठी थी, निजी हैसियत से यह लिखी गई थी और इसमें क्या चीज़ है, उसका ज़िक्र नहीं किया जा सकता है। लार्ड माउंटबेटन की चाहे पहले जो हैसियत रही हो, वह हैसियत उनकी बाद में नहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी जिस चाहे हैसियत में उन्होंने वह चिट्ठी लिखी हो, वह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए एक गम्भीर मामला था। यह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप था। माउंटबेटन हो या दुनिया का कोई और नेता या कोई भी शक्ति, इस बारे में राय या सलाह देने का किसी को कोई हक नहीं है और न कोई हमें दे। माउंटबेटन के वक्त यह हो सकता है कि प्रिवी पर्स तय किये गये हों। लेकिन बाद में उनकी वह हैसियत नहीं रह गई थी जो तब थी। बाद में अगर कोई हमें इस प्रकार की राय या सलाह देता है तो यह हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है। मैं चाहता हूं कि लार्ड माउंटबेटन ने जो पत्र लिखा था हमारी सरकार की ओर से उसका क्या उत्तर दिया गया और अगर कोई उत्तर नहीं दिया गया तो यह भी बताया जाए। गृह मंत्री आज यह भी घोषणा करें, कि इस प्रकार की राय देना हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना है।

इस प्रिवी पर्स के मामले का एक दूसरा पहलू भी है। भले या बुरे तरीके से आज वे इस सदन के सदस्य भी हैं और देश के कामों में वे हिस्सा भी ले रहे हैं, जो हमारे शासन का ढांचा है उसमें वे हिस्सा भी ले रहे हैं। उस अवस्था में न तो इसका उनके काम से ताल्लुक है और न किसी और चीज़ से लेकिन उसको चालू रखना जनतंत्र के लिए एक कलंक है। इसलिए प्रिवी पर्सिस का अन्त होना चाहिये।

अभी हमारे रणधीर सिंह जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि यह उनकी और उनकी पार्टी की पालिसी है। दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्ताव तो आप लोग बीस साल से पास करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक आपने इसको लागू नहीं किया है। कब लागू करेंगे, इसका पता नहीं। एक झटके से आपने बैंकों का राष्ट्रीय-

[श्री भोगेन्द्र झा]

करण कर दिया है। एक ही झटके में आप इनको भी समाप्त कर दें। बैंकों के राष्ट्रीय-करण का काम भी पूरा हुआ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आपने विदेशी बैंकों को छोड़ दिया है और जिन बैंकों की पचास करोड़ से कम पूंजी है, उनको भी छोड़ दिया है। फिर भी एक झटका आपने लगाया है और एक झटका इधर भी लगा दें। क्या आशा की जाए कि गृह मंत्री जी आज हिम्मत करके इस बात की घोषणा कर देंगे कि प्रिवी पर्स समाप्त किये जाते हैं और लोक सभा के इसी सत्र में इस आशय का एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसको पास कराया जाएगा ?

हमारे रणधीर सिंह जी ने कहा कि वाह-वाही ये लोग क्यों लूटें। हम लोग वाह-वाही नहीं चाहते हैं। आप वाह-वाही लूटें। आप इसका एलान कर दें ताकि देश का कल्याण हो। अगर देश का आपके किसी एलान करने से लाभ होता है, तो हमें वाह-वाही नहीं चाहिये। यह कोई ज़िद की बात नहीं है।

इसके साथ एक तीसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है। प्रिवी पर्स के चलते यह भी सुनने में कभी-कभी आता है कि किसी राजा की एक रानी एक करोड़ रुपये के जवाहरात लेकर विलायत चली गई। हाल ही में अखबारों में निकला है कि रामपुर के नवाब के यहां से बेगम को बुलाया गया और स्टेट बैंक में जब जवाहरात की तलाशी हुई तो पता चला कि जवाहरात को बदल दिया गया है और असली के बदले नकली रख दिये गये हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इनको बन्द कर दिया जाता है तो राजा भूखे नहीं मरेंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। चुनाव में जीतने के लिए अगर इनको दो-चार-पांच लाख खर्च करना पड़ेगा तो ऐसी बात नहीं है कि ये खर्च नहीं कर सकेंगे। कोई ऐसा राजा नहीं है जो न कर सकता हो। जो थैली उनको दी जाती है उनकी अधिकतम जरूरतों के हिसाब से भी नहीं दी जाती है, उनसे भी कहीं ज्यादा की थैली उनको दी जाती है। मैं निम्नतम की बात नहीं कर रहा हूं। थैली देने का कोई आधार नहीं है। हम यह भी चाहते हैं कि पुराने राजा-महाराजा खुद एलान करें कि वे थैलियां नहीं लेंगे। सरकार के अन्दर भी कई राजे-महाराजे हैं। डा० कर्ण सिंह हैं, श्री दिनेश सिंह हैं। कम से कम उनको तो इसका एलान कर ही देना चाहिये कि वे थैली का पैसा नहीं लेंगे।

15.36 hrs.

[SHRI K.N. TIWARY *in the Chair*]

दांडेकर साहब ने कहा कि काश्मीर राजा की वजह से काश्मीर भारत में शामिल हुआ है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी और अमरीकी फौजी अफसरों के कहने में आकर जब कबायलियों ने काश्मीर पर हमला किया, जब पाकिस्तानी फौजों ने काश्मीर पर हमला किया तो उस हमले का मुकाबला वहां के राजा ने नहीं बल्कि काश्मीर के लोगों ने किया, वहां की नैशनल कान्फ्रेंस ने किया, शेख अब्दुल्ला ने किया, सादिक साहब ने किया, बख्शी गुलाम मुहम्मद ने किया, वहां की जनता ने तलवार से उनका मुकाबला किया और वहां जो जन आन्दोलन हुआ, उस जन आन्दोलन ने भारत को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया और तब वह भारत में शामिल हुआ। जनता की इच्छा से, जन आन्दोलन की राय से काश्मीर भारत का हिस्सा बना। वह राजा की मर्जी से ही नहीं बना बल्कि जनता की मर्जी से बना। श्री दांडेकर जी की आई० सी० एस० अफसर रहने की हैसियत से यह राय हो सकती है कि एक आदमी की मर्जी पर काश्मीर भारत का हिस्सा बना लेकिन वास्तव में काश्मीर की जनता की मर्जी से वह बना।

मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री आज ही एलान कर देंगे कि प्रिवी पर्स समाप्त होंगे और इसी सत्र में एक विधेयक पारित किया जाएगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को मंजूर

करे और कोई मुआवज़े की बात नहीं उठानी चाहिये।

सभापति महोदय : इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था वह समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी सभी पार्टियों के माननीय सदस्य नहीं बोले हैं। मैं उनको भी समय देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जिनको अब बुलाया जाए वे अधिक समय न लें।

श्री वाजपेयी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): मेरे मित्र श्री रवि राय ने जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, उसके ऊपर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं एस० एस० पी० की स्थिति समझ सकता हूं। जब से राजाओं को थैली देने का निर्णय हुआ है, हमारे समाजवादी बंधु इसके विपक्ष में बोलते रहे हैं और उसे समाप्त करने की आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के सदस्य इसके विरोध में बोले हैं, उसको सुनकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ है। यह काम वे बाइस साल से करते आ रहे हैं और यह काम उनकी इच्छा और उनके निर्णय के अनुसार होता आ रहा है। चूंकि यह संविधान में लिखा हुआ है, इस वास्ते उनको थैलियां दी जा रही हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय मेरे दल का जन्म भी नहीं हुआ था और प्रिवी पर्स देने के निर्णय से हम बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन संविधान का निर्माण करने वाले कांग्रेस के सदस्य उस निर्णय से जरूर बंधे हुए हैं। आज जब प्रिवी पर्स को समाप्त करने की बात आ रही है तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि जो बात बाइस साल तक ठीक थी वह अचानक गलत कैसे हो गई।

कहा जाएगा कि समय बदल रहा है, यथा स्थिति में परिवर्तन होना चाहिये। मैं मानता हूं कि समय बदल रहा है और बदलते हुए समय के कुछ तकाजे हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय एक पक्षीय नहीं हो सकता।

प्रिवी पर्स का जो समझौता है, यह द्विपक्षीय है—एक ओर शासन और दूसरी ओर राजा।

अंग्रेजी राज्य में राजाओं के तौर-तरीकों का हम विरोध करते रहे हैं और राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के समय देश के विभाजन से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखकर राजाओं ने अपने राज्यों को भारतीय संघ में मिलाने का जो निर्णय किया, वह एक देशभक्तिपूर्ण निर्णय था। उस निर्णय के लिये जहां सरदार पटेल की नीतिमत्ता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जानी चाहिए, वहां राजाओं की देशभक्ति की भी सराहना की जानी चाहिए। निर्णय कोई भी किया जाये, लेकिन हम इतिहास को विकृत करने की कोशिश न करें, सरदार पटेल के काम पर पानी फेरने की कोशिश न करें।

जब अंग्रेज़ गये, तो वे, कानून और संविधान की दृष्टि से ही क्यों न हो, रियासतों को सर्वप्रभुता का अधिकार दे गये, यह छूट दे गये कि राजा किसी भी खंड में मिल सकते हैं। यह ठीक है कि अगर राजा ग़लत निर्णय करते, तो जनता जाग्रत हो रही है, वह उनसे जवाब मांगती। लेकिन अगर राजा शरारत पर आमादा होते—जैसे कुछ राजाओं ने शरारत करनी भी चाही—, तो हम एक नये खतरे में फंस सकते थे।

सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमता से उस खतरे को टाला। राजाओं ने देशभक्ति को पहचान कर और जनता की भावनाओं का समादर कर के, जो निर्णय किया, उस निर्णय का अभिनंदन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम जो भी निर्णय करें, वह इस पृष्ठभूमि में करना होगा।

सरदार पटेल ने 12 अक्तूबर, 1949 को इस विषय पर संविधान सभा में जो भाषण दिया, उसका एक अंश में सदन के सामने रखना

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

चाहता हूं। उनका भाषण अंग्रेज़ी में था। मैं उसी को उद्धत कर रहा हूँ :

"Human memory is proverbially short. Meeting in October 1949, we are apt to forget the magnitude of the problem which cpnfronted us in August 1947. As the hon. members are aware, the so-called lapse of paramountcy was a part of the plan announced on June 3, 1947, which was accepted by the Congress. We agreed to this arrangement in the same manner as we agreed to the partition of India. We accepted it because we had no option to act otherwise. While there was recognition in the various announcements of the British Government of the fundamental fact that each State should link up its future with that Dominiom with which it was geographically contiguous, the Indian Independence Act released the States from all their obligations to the British Crown. In their various authoritative pronouncements, the British spokesmen recognised that with the lapse of paramountcy, technically and legally the States would become independent. They even conceded that theoretically the States were free to link their future with whichever Dominion they liked, although, in saying so, they referred to certain geographical compulsions which could not be evaded. The situtation was indeed fraught immeasurable potentialities of disruption, for some of the Rulers did wish to exercise their technical right to declare independence and others to join the neighbouring Dominion. If the Rulers had exercised their right in such an unpatriotic manner, they would have found considerable support from influential elements hostile to the interests of this country".

निज़ाम के आचरण का भी उल्लेख किया गया है। गुजरात के दो राजाओं ने—उन्हें नवाव कहना चाहिए—ग़लत फ़ैसला करके किस तरह से हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कीं, यह इतिहास की वस्तु है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मेरा निवेदन है कि मैंने आज महाराजा ध्रांगध्रा का वक्तव्य देखा है, जो राजाओं की ओर से दिया गया है। जब सारे वक्तव्य को मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस मामले पर राजा सरकार से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं, बातचीत चल भी रही है, और जब तक वह बातचीत पूरी नहीं होती, तब तक किसी तरह का फैसला करना उचित नहीं होगा। उनके वक्तव्य के एक अंश की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"The anxious concern of rulers like that of other citizens is that the essential things which affect the life and well-being of society must command the prime attention, thought and energy of Government, especially at the critical time through which the country is passing. In this as in matters touching national interest, the rulers like other citizens are duty bound to serve and sacrifice as occasion requires."

इस वक्तव्य की भावना स्वागत-योग्य है। यह खेद का विषय है कि आज कोई सरदार पटेल नहीं है, जो राजाओं को स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार कर सके। राजा वही हैं, मगर सरदार पटेल नहीं हैं। सभापति महोदय, मावले वही हैं, मगर शिवाजी नहीं। भामाशाह वही हैं, लेकिन राणाप्रताप नहीं हैं। और गृह मंत्री महोदय को अपनी विफलता मान लेनी चाहिए। अगर देशभक्ति की अपील की जायेगी, तो राजाओं की प्रतिक्रिया होगी। बदलते हुए समय को राजा नहीं पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सीने पर पिस्तौल रखकर निर्णय कराने के लिए सरकार तुली हुई है, तो इसका विरोध स्वाभाविक होगा। **(व्यवधान)**

मेरे मित्र, श्री रवि राय, ने भी अपने प्रस्ताव में प्रिवी पर्स पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं कही है। उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था सुझाई है, क्योंकि एक राजा ऐसे हैं, जिनको साल भर में 192 रुपये प्रिवी पर्स मिल रहा है और 22 के करीब राजा ऐसे हैं, जिनको 700 रुपये महीने के करीब प्रिवी पर्स मिल रहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : श्री रणवीर सिंह से भी कम !

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री रणधीर सिंह तो हरियाणा के सम्राट हैं। इसलिए श्री रवि राय को भी यह कहना पड़ा कि जिन भूतपूर्व शासकों के पुनर्वास की आवश्यकता है, उन्हें निजी थैली की वार्षिक रकम की सात गुना अथवा दस लाख रुपये की एक मुश्त अदायगी, जो भी कम हो, की जाये।

स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में राजाओं से बातचीत करनी होगी और सरकार अपने दिमाग के दरवाजे बन्द नहीं कर सकती है। कोई एक-पक्षीय फ़ैसला नहीं हो सकता है और अगर एक-पक्षीय फ़ैसला होगा, तो सरकार पर वचन-भंग का आरोप लगाया जायेगा और सरकार वचन-भंग की दोषी करार दी जायेगी।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : सभा-पति महोदय, आज सदन के सामने एक बहुत टेढ़ा मामला आया है और इस विषय पर सदन दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। कोई एक ओर है और कोई दूसरी ओर। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि श्री दांडेकर ने बताया है, हमें वे दिन भी याद हैं, जब केवल सौराष्ट्र में 202 राजा थे। इन्स्ट्रुमेंट आफ एक्सेशन पर हस्ताक्षार करने के समय क्या स्थिति थी, क्या-क्या घटनाएं हुईं, वे सब हमारी देखी हुई बातें हैं। उनमें से कई राजा लोग आज हमारे बीच में हैं, जिनमें से एक ध्रांगध्रा के महाराजा साहब भी हैं।

मैं समझती हूं कि हम लोगों को इस प्रकार दो कैम्पों में नहीं बंट जाना चाहिए, बल्कि हमें राजा-महाराजाओं को, जिनमें से कुछ यहां एम० पी० बन कर आये हैं और कुछ बाहर हैं, बताना चाहिए कि उन्हें जमाने के साथ चलना ही होगा और उन्हें यह मानना ही होगा कि देश आगे बढ़ रहा है और इस दृष्टि से उन्हें उसके साथ कदम मिलाना ही पड़ेगा। आज से 22 साल पहले उन्होंने सरदार पटेल की प्रेरणा पर अपने राज्य छोड़ दिये थे। आज फिर ऐसा ही मौका आया है। मैं सोशलिस्टों, कम्युनिस्टों या कांग्रेस की नीतियों की बात नहीं करती हूं। मैं कांग्रेस की ओर से भी अपील नहीं कर रही हूं। मगर हमारे देश की जो हालत है और जमाना जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है इसको देखते हुए मैं अपने भाइयों से जो राजा महाराजा हैं जो यहां बैठे हुए हैं और जो हाजिर नहीं हैं उनसे भी अपील करना चाहती हूं कि आप अपनी ओर से कह दीजिए। क्यों हमको मजबूरी में डाल रहे हैं कि रेज़ोल्यूशन पास किया जाय और उसके बाद यह सब हो। मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा किया जाय। यह सब लोग भी हमारे भाई हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूं कि आप अपने दिल में ऐसा मत सोचिए कि हमको झुकाया जा रहा है। यह झुकाने वाली कोई बात नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी में सबके समान अधिकार हैं। लेकिन मैं उनसे ही अपील करना चाहती हूं। उनके दिल में भी प्रेम है देश के लिए। तो मैं उनसे आज अपील करूंगी कि आप फिर से सोचें और आप अपनी ओर से कह दें कि हमको प्रिवी पर्स और जो विशेषाधिकार हैं वह नहीं चाहिए। यह चीज उनकी तरफ से आनी चाहिए। इसलिए मैं फिर से उनसे अपील कर रही हूं और अपने सब भाइयों से अपील करती हूं कि यह देश की मांग है, अगर वह कहते हैं कि यह मारल औबलिगेशन है तो उसका एक थोड़ा-सा बोझ मेरे सिर पर भी पड़ता है कांग्रेस की सदस्य होने के नाते से, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि देश इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कुछ लोगों को दस लाख की प्रिवी पर्स हो, कुछ लोगों को 5 लाख की पर्स हो ··· (**व्यवधान**) ·· मैं दो मिनट में खत्म करती हूं। मैं यह कह रही हूं अपने कांग्रेस के भाइयों से, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी वालों से कि आप ऐसा बंटवारा इस सवाल के ऊपर मत कीजिए। यह देश चाहता है, कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता है। यह जमाने की मांग है कि यह प्रिवी पर्स जाने चाहिए। मौरल औबलीगेशन की बात भी मत करिए। लेकिन जो देश की आज की हालत

[श्रीमती जयाबेन शाह]

देखते हुये मौरल औबलीगेशन की बात करना भी उचित नहीं होगा। में उनसे प्रार्थना करूंगी कि यह जो रेजोल्यूशन है इसको तो वापस लिया जाय। वह खुद हमारे राजा महाराजा आकर कहें कि प्रिवी पर्स हमें नहीं चाहिए। यह उनको कहना ही पड़ेगा। नहीं तो देश यह बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है,... (**व्यवधान**)... कितने समय में खत्म हो, कैसे किया जाय, छोटे को क्या किया जाय, बड़े को क्या किया जाय, इस सारी तफ़सील में हमारे होम मिनिस्टर साहब जाएंगे और उनके साथ बैठ कर एक फैसला करके मैं समझती हूं कि 2 अक्तूबर के पहले भी कुछ-न-कुछ नतीजा ला सकते हैं। मेरी अपील है हिन्दुस्तान की एक बहन की ओर से कि आप इस पर ज़िद मत करिए। सारा देश इस प्रिवी पर्स के खिलाफ है। मगर ज़िद का मामला इसको बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अपनी खुशी से वह छोड़ दें, निगोशिएशन्स से जितना मिले वह ले लें, देश उसमें राजी होगा। यह मेरी अपील देश की ओर से है अपने राजा महाराजा भाइयों से कि वह इसको स्वीकार करें।

SHRI S. KUNDU (Balasore): Mr. Chairman, Sir, right from the days of the Constituent Assembly, the then socialist party has been demanding the abolition of the privy purse But, during this passage of 22 years, we find more dramas being enacted by the Congress party about the abolition of privy purse rather than it is abolished, that they are having discussions with the princes; when and how they are going to remove or take out the privy purse, and whenever there is inner-con flict in the Congress, they come out with some sort of assurance. Again, the assurance was not fulfilled for months together. I remember, about a year and half back in answer to a question the Home Minister himself said that we are going to take positive steps. I donot know what prevent. him that during the passage of so many months he has not come out openly and said that the privy purses would be abolished. It is really some sort of a great insult to all of us. This drama must end. It is an embarrassing thing to find you sitting round the princes and you just make them dance saying that we are taking away your purses today or tomorrow and then tell them we are not going to do it now whenever a conflict in the Congress arises.

Sir, this question of privy purses is not a personal question. It is a question whether the will of the people will prevail or whether the so called right flowing from certain enactments and treaties which were made with the blessings of the British people with individual princes will prevail. This is the only question to be decided.

We have demanded that privy purses must go lock, stock and barrel. If the Congress wants to show their commitment to larger social purpose or social objective they must immediately, forthwith, abolish the privy purses. I can imagine the case of those princes who are on this side, who in spite of their temptation have agreed with the demand of the Opposition. I can also imagine that those princes who sit with the Congress continue to sit there in the hope that they will be able to keep the privy purses. Let me tell them that the days are numbered. Let me tell them that must not harbour any illusion. It is the desire and will of the people which will force the Congress to abolish the privy purses and no more hanky-panky will be tolerated by the people.

It was said that it was sheer patriotism that the princes agreed to join the Indian Union in 1947. Was that patriotism? What happened hundred years before the sepoy mutiny. When Sirajdaulah was there with an army of thousands, Lord Clive with a few hundred people went and completely defeated him. Right from 1757 the morality of these princes, the sense of respect of these princes and their patriotism have been completely destroyed by the British people. Can those who were dancing to the tune of the British people, those who were obeying the dictates of the British people show any patriotism? In 1947 there was a great upsurge among the people and there was no other way for the princes to give up power peacefully. At that time the Congress should have completely abolished their privy purses.

It is said there are certain princes who are taking only Rs. 100 or Rs. 150. Why are they accepting even that? They should throw it back on the Congress. They must

show this courage and show to the world that a new process, a new change is going on.

SHRI PILOO MODY (Godhra): Sir, as a demonstration let him throw a ten-rupee note.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): On his behalf I am throwing a ten-rupee note.

16 hrs.

SHRI M.L. SONDHI (New Delhi): Sir, I rise to a point of order. Can you allow company donations inside the House?

SHRI S. KUNDU: The princes have been paid so far Rs. 135 crores. They have many palaces, thousands of acres of land and they enjoy many concessions. So, if at all there is any question of compensation, it should be limited to those who are really poor princes, who are like commoners. No compensation should be paid to the rich princes who are enjoying all the privileges. The Home Minister should make a categorical statement here about the date and time when he is going to do away with the privy purse. Otherwise, we cannot but conclude that they are not serious about doing away with the privy purses.

SHRI VISWANATHA MENON (Ernakulam): This is a simple resolution which can be easily accepted by the government. For me it is a little bit difficult to accept it because there is a suggestion for paying some compensation to which I am not agreeable. Even this limited resolution has been questioned by the Congress speakers. I know very well these people who are opposing this Resolution.

I come from a State which at one time had two Maharajas. Shri Dandeker was saying a lot about the patriotism of the princes, who acceded their States to the Indian Union. Everybody knows the role played by the Maharaja of Travancore at that time. He declared his State independent and said that the American constitution will be his model. The people of Travancore had to fight the heroic Punnapra Vayalar struggle which is of historic importance. Shri Dandeker was saying that these Rajas are patriots. They were never patriots. They were fifth columnists of the British imperialism. They were actually working in the interests of British imperialism. There were some people among the princes who were fighting the British. I remember Tippu Sultan; but he is not in the picture now. I remember Pashasi Raja; but he is not in the picture now. People who are now taking money in the name of privy purse, they were traitors; for the last 22 years they were paid privy purse by the Congress Government. They should not have been paid any money.

SHRI PILOO MODY: Sir, some of the members of this House are princes and he is criticising them......(*interruptions*).

SHRI VISWANATHA MENON: All the Maharajas were fighting against our independence. They were the stooges of British imperialism. During the last 22 years they have received a lot of money from the Congress Government.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है ।

सभापति महोदय : वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : प्वाइन्ट आफ़ आर्डर में ईल्ड करने का सवाल नहीं आता ।

सभापति महोदय : क्या प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : इन्होंने भूतपूर्व राजाओं के सम्बन्ध में जो शब्द उच्चारण किया है, वह पार्लियामेन्ट की परम्परा और शान के विरुद्ध है । उस शब्द को इन्हें वापस लेना चाहिये ।

सभापति महोदय : क्या उच्चारण किया है ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : ट्रेटर कहा है । देशद्रोही से ज़्यादा बड़ी गाली और क्या हो सकती है ।

MR. CHAIRMAN: Please do not refer to hon. Members in those terms. That is neither proper nor parliamentary.

SHRI VISWANATHA MENON: But I have not referred to any of the Members here. I have referred to the role of the Maharajas before independence.

SHRI PILOO MODY: When we sometimes call the Communist Party 'traitors', they object because, they say, they are hon. Members of this House and, therefore, nobody should cast such aspersions on them. Now there is another group of people in this country who are as much a part of the community in this country as they are—in fact, more—and they are allowed to say these things and get away with it. What sort of a House is this ? I am saying that you pull him up for what he has said and ask him to withdraw what he has said.

SHRI VISWANATHA MENON : The role played by the Indian Princes before independence was not in favour of the freedom fight.

MR. CHAIRMAN : Pleased do not refer to any Member casting any aspersion on him.

SHRI VISWANATHA MENON : I have not cast any aspersion against any Member.

SHRI PILOO MODY: He says that all those who are receiving privy purses are traitors.

SHRI VISWANATHA MENON: I was giving the historical background.

SHRI RANDHIR SINGH: The word 'traitor' is unparliamentary and it should be expunged.

SHRI S. K. TAPURIAH: This morning during Question Hour when I only said that a certain section was there whose loyalty was doubtful, I was pulled up and asked to withdraw. I had not mentioned which section. Here they have particularly said that certain sections of the people are traitors. Therefore you must expunge it or he must withdraw it.

SHRI NAMBIAR: What he said was quite different. He was giving the history of it. He says that he has got every respect for every Member.

MR. CHAIRMAN: If he has used the word 'traitor', he should withdraw it.

SHRI VISWANATHA MENON: I have not said anything about the present people... (*Interruption*).

MR. CHAIRMAN: This is very bad. When I am talking to him, all of you get up and begin to shout. How will you run this democratic organisation, this House, like that ?

SHRI PILOO MODY: We want no expunction; we want wi'hdrawal of the word.

SHRI NAMBIAR: What he said was totally different.

सभापति महोदय : एक आदमी जब बोल रहा है तो आप लोग बीच में क्यों वकालत करते हैं।

If you have used the word, please withdraw it.

SHRI NAMBIAR: Please hear what he actually said. It was all confusion.

SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH (Jhalawar) : I humbly submit that if some of the members of the princes were traitors, I ask this Government to shoot them as traitors. But they have no liberty to call anybody a traitor. We are all as much patriots as anyone else is.

SHRI VISWANATHA MENON: I have not said anything about the present situation. I said that before the 1947 agreement these Maharajas were not supporting the freedom movement. That is the point that I was making......(*Interruption*).

16.10 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY SPEAKER: Please resume your seat first. The question is, you have used the word "traitor" regarding princes...(*Interruption*). This morning, I gave my ruling on that. There are a number of princes here. Whatever we may decide is a different matter. But if we start bandying words like this, it will be very difficult.

SHRI VISWANATHA MENON : If you want, I withdraw that word. I am prepared to withdraw that word. But I stand by what I said that these *rajas* and *maharajas* were against the Independence of the country. For 22 years, we have given them the poor man's money. Almost all the *rajas* and *maharajas* have got big properties.

My humble submission is that if this Resolution without the compensation clause is passed, I will be very happy. But I am not expecting anything from the Congress Benches. Two years before, this resolution was passed in the A. I. C. C. and they have not taken any action whatsoever. They are saying that negotiations are going on. What negotiations ? They want to use *rajas* and *maharajas* as pawns in the chess-board of power politics. Shrimati Indira Gandhi wants to use these *rajas* and *maharajas* as pawns in the chess-board of her power politics. Otherwise, before nationalisation, if this step had been taken, it would have affected all the rural areas and it would have affected every nook and corner of the country. Even now, the Damocles' sword is hanging on *rajas* and *maharajas* and they are looking, which party. Jana Sangh or Swatantra, or anybody is coming to help them. This is the attitude. This is the game of power politics that is being played.

My submission is that if the Congress is very honest, if the Congress believes in socialism, if they are standing by socialism, let them come out and abolish the privy purses and make a declaration today itself. I expect such a daring attitude from the Congress Benches. But I do not think Mr. Chavan will come out with such a declaration because he is also in the power politics. These *rajas* and *maharajas* are being used in the power politics. I request the democratic Congressmen inside the Congress, who actually believe in socialism, who speak of socialism, people like Shri Randhir Singh, to come out and support the Resolution. And it must be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have exceeded the time-limit already. I am going to call the Home Minister. Then, the mover of the Resolution will have a right of reply.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं सिर्फ पांच मिनट ही लूंगा ।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں) : مجھے بھی موقع دیجئے۔]

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) We want the next Resolution to be moved.

MR. DEPUTY SPEAKER : That will come. All right; Shri Madhu Limaye.

श्री अब्दुलगनी डार (गुड़गांव) : मुझे भी मौका दीजिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you a little time. I want to call the Home Minister as early as possible. He will take about 15 to 20 minutes. We must finish it before 5-30 P. M.

श्री मधु लिमये : सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज की जो बहस है वह किसी एक वर्ग के खिलाफ या किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है । मैं जानता हूं कि यहां पर जो हमारे मित्र हैं उनमें राजा महाराजा भी हैं, मैं यह भी जानता हूं वे देशभक्त हैं, तहजीबयाफ्ता हैं, सुसंस्कृत और सभ्य हैं, उनसे हमारी कोई व्यक्ति दुश्मनी नहीं है बल्कि इसमें सिद्धांतों की लड़ाई है । मुझे श्री अटल बिहारी बाजपेयी के भाषण को सुनकर बड़ा अचरज हुआ ।... .. (**व्यवधान**)...मैं कारण बतलाता हूं जो करार किए गए हैं उनकी पवित्रता की बात उन्होंने कही लेकिन पचास करोड़ लोगों के लिए जो संविधान बनाया गया है क्या उसके बारे में भी अटल जी सोचेंगे ?...(**व्यवधान**)...मैं अटल जी और सभी माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान की जो व्यवस्था है, उसकी ओर खींचना चाहता हूं । हिन्दुस्तान के नागरिकों को कुछ कानूनी अधिकार हैं, कुछ सांविधानिक अधिकार हैं और

[श्री मधु लिमये]

सांविधानिक अधिकारों में भी दो वर्ग हैं—एक बुनियादी अधिकार हैं और एक गैर बुनियादी सांविधानिक अधिकार हैं। आप संविधान की धारा 14 देखिए :

> "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

तो यह बुनियादी अधिकार समानता का है। कानून के सामने हिन्दुस्तान के सभी नागरिक समान हैं और उनको कानून का संरक्षण मिलना चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार है कि इसी संविधान में धारा 32 की तहत, अगर इन अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाने का अधिकार दिया गया है। इसी संविधान में राजाओं के बारे में जो धारायें हैं जैसे 362—यह जरूर कहा गया है कि कानून बनाते समय राजाओं के साथ जो करार किये हैं उनका ख्याल रखा जाये लेकिन साथ साथ जो अधिकार दिये हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं — 363 को देखियेगा। तो संविधान की जो योजना बनाई गई है, उस संविधान के बनाने वाले मूर्ख नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जनता के जो बुनियादी अधिकार हैं उनको उच्चकोटि का अधिकार माना है और उनके सामने बाकी सभी अधिकारों को झुकना पड़ेगा। मेरा एक मुद्दा तो यह था।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि दो साल पहले जुलाई के महीने में इस बहस को मैंने उठाया था इस पार्लियामेंट में। उसके पहले ए० आई० सी० सी० ने जो प्रस्ताव किया तो मैंने पहल करके, स्वतंत्र और जनसंघ को छोड़कर, सभी विरोधी दलों के नेताओं का एक पत्र प्रधान मंत्री को भेजा कि इसको कार्यान्वित करने के लिए अगर आप पहल करेंगी, कानून बनायगी तो हम सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। यदि संविधान में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर यहां पर वोट हो जाये तो इस पर 415 मतदान पक्ष में होगा—मुझे इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दो साल पहले ही हमने आपको अपना समर्थन दिया था और यहां पर इस प्रश्न को उठाया था। उस समय गृह मन्त्री जी ने क्या कहा उसका एक ही वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

> "The real test, and I entirely agree with Shri Madhu Limaye, is the question of political value. It is a question of principles involved. It is a question of direction we want this democracy to take."

आगे चलकर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सोचेगी और उचित फैसला करेगी। क्या दो साल की अवधि इस पर सोचने के लिए और फैसला करने के लिए पूरी नहीं थी ? मेरी समझ में नहीं आता कि दस जुलाई को आर्थिक नीति के बारे में प्रधान मन्त्री जी का जो नोट आता है उसमें 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र नहीं और 9 दिन के अन्दर आर्डिनेन्स निकलता है और फिर उसमें सेलेक्ट कमेटी के सामने जाने के लिए भी आप तैयार नहीं होती हैं, उसको तुरन्त पास करना चाहती हैं। मैं आपकी उत्सुकता समझ सकता हूँ लेकिन क्या वजह है कि दो साल पहले आपने हमको आश्वासन दिया और उसके बाद भी आप इसको कर नहीं रहे हैं। मुझे यह बताया जाता है कि चूंकि माउन्टबैटन साहब का पत्र श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से आया, या श्रीमती इन्दिरा गांधी के मंत्रिमंडल में राजा महाराजाओं की भरमार है, इसलिये इस काम को वह जल्दी नहीं करना चाहती हैं। लेकिन मैं चव्हाण साहब और माननीय कामराज से पूछना चाहता हूं कि ये क्यों चुप हैं ? पहल क्यों नहीं कर रहे हैं ? और लम्बी बातचीत की चर्चा क्यों चला रहे हैं।

आपने जमींदारी खत्म की, 10 किस्तें बांध दीं, जमींदारों के अधिकार खत्म हो गये। बैंक के हिस्सेदारों को आपने खत्म कर दिया। क्या जमींदारों के साथ और बैंकों के हिस्सेदारों केसाथ निगोशियेन्स किये थे ? लेकिन निजी कोषों की बात को लेकर टालमटोल की नीति क्यों चल रही

है ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चव्हाण साहब दो साल पहले जो आश्वासन दे चुके हैं उसको दोहरायें नहीं। कोई समय की निश्चित अवधि होनी चाहिये। और अगर माउन्टबैटन साहब इसमें दखल दे रहे हैं तो मुझे इतना ही कहना है कि निजी कोष का मामला कोई अन्तर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, और मैं जानता हूं कि हमारे मित्र पूर्णतया देश भक्त हैं, लड़ाई लड़ेंगे लेकिन उसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर नहीं रखेंगे। इसीलिये मैं कहूंगा कि निजी कोष का मामला हमारा अन्दरूनी मामला है, माउन्टबैटन साहब को इसमें दखल नहीं देना चाहिये। राष्ट्रपति के चुनाव का मामला भी अन्दरूनी मामला है। लेकिन मैं सुनता हूं कि प्रावदा में लेख छप रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हमारे उम्मीदवार का यह चान्स खत्म करना चाहते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय राममूर्ति और मैंने एक संयुक्त निवेदन द्वारा इस तरह के विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ बात उठायी। निजी कोष और राष्ट्रपति के चुनाव का मामला, ये दोनों अन्तर्राष्ट्रीय मामले नहीं हैं, घरेलू मामले हैं। हम लोग आपस में जितना लड़ना चाहें लड़ें, लेकिन विदेशों को इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिये मैं चव्हाण साहब से कहना चाहता हूं कि गोलमोल आश्वासन न दीजिये, निर्गुण निराकार ब्रह्म की तरफ हमें न ले जाइये, कोई निश्चित अवधि रखिये।

कम्पनी डोनेशन्स के बारे में मेरा बिल था। इनके आश्वासन पर मैंने उसे वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि बजट सत्र में पेश किया जायगा। लेकिन पेश करते-करते बजट सत्र करीब करीब समाप्त हो गया और पास करने के लिए एक साल लगाया गया। तो कम-से-कम निजी कोष के बारे में इस तरह की बात अब बरदाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अवधि के बारे में अगर कोई ठोस बात आ जायगी तो मेरा ख्याल है कि प्रस्तावक महोदय जरूर उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : When we read this resolution, this resolution emphasizes that the privy purses and the special privileges are against the democratic principles enshrined in the constitution. Whatever may have been said on the last occasion by Mr. Masani or today by Mr. Dandekar and also by Mr. Vajpayee, there shall be no dispute that these two things are contradictory. When we take into consideration Article 291 and 362 of the Constitution and read the preamble of the Constitution we find there is a contradiction. Equality of status and also opportunity is inconsistent with the grant of privy purses and also of the privileges.

Therefore, when Pandit Nehru was alive, he appealed to the princes to accept some cuts in their purses and privileges. That appeal did not bear fruit. Therefore, we find this demand put in the AICC resolution. Also now it has come here in the shape of a non-official resolution moved by Shri Raby Ray. This came up on the last session because all this could not be done before the 2nd October, because the translation of this resulotion into action requires amendment of the Constitution by way of deletion of articles 291 and 362 and also legislation regarding the rehabilitation question, I put in an amendment to say that the House agrees with the principle but the implementation of the operative part would be impracticable before 2nd October. In the meantime, much water has flowed down the Yamuna and two important events have taken place. Man has landed on the moon and nationalisation of banks in this country has given a new push to the process of socialism. Therefore, it would have been possible for Government to translate this resolution into practice by bringing forward appropriate legislation during this session and getting it passed. But since there have been some negotiations and several members on both sides hope that without any injury or hurt to the feelings of some people, some agreement could be arrived at as Government are also very keen on it, I think we should not insist on a timelimit. Therefore, I am not been on my amendment. All the same, Government should take early steps to see that this principle is translated into practice at the earliest.

SHRI P. K. DEO : By his observation

[Shri Sradhakar Supakar]

of equality before law so that article 363 should be deleted, does he mean to say that this bilateral agreement would be justiciable?

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव): डिप्टी स्पीकर साहब, इस सवाल पर हमने दो दिन विचार किया। मुझे माननीय मधुलिमये और माननीय रवि राय की बड़ी इज़्ज़त है, कांग्रेस वालों की भी बड़ी इज़्ज़त है क्योंकि मेरे साथी रहे हैं। लेकिन जब उसूल की बात आती है तो हमें हरएक को हक हासिल है कि जो उसकी बुद्धि कहे उसके मुताबिक अपनी बात वह अर्ज करे। जब हम डू और डाई की मूवमेंट लड़ रहे थे और हमारे नौजवान गोलियां खा रहे थे और जेलों में जा रहे थे तो उस वक्त कुछ लोग थे जो पीपुल्ज़ वार का नारा लगाकर देश को सेबोटाज कर रहे थे। लेकिन मैं उनकी कोई गिला नहीं करता क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाय तो भूला नहीं कहलाता। आज भी अगर उनके दिमाग में सिवाय भारत के और कोई नक्शा न हो, किसी बाहर के मुल्क का नक्शा न हो, तो मैं उनकी पूजा करूंगा क्योंकि उन्होंने कुरबानियां पहले बहुत की थीं।

यहां यह भी कहा जाता है कि वे ट्रेटर थे। अगर वे ट्रेटर थे तो मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री से ज़्यादा वोट एक रानी को मिले हैं वह कामयाब होकर आई है। हमको मानना होगा कि जनता उनसे उतनी दुखी नहीं है जितनी हम समझते हैं। अगर दुखी होती तो आज राजे-महाराजे इतनी ज़्यादा तादाद में कैसे कामयाब होकर आते ?

यहां पर जनता का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि जनता नहीं चाहती है कि उनको प्रिवी पर्स मिले। अगर ऐसी बात होती तो जनता उनको लोक सभा में क्यों भेजती ? वे नामज़द होकर तो आए नहीं हैं।

एक बात मैं सामने बैठे हुए बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं। सरदार पटेल ने जो वायदा किया था, उसको पूरा किया जाना चाहिये। वह वायदा उन्होंने एज़ होम मिनिस्टर किया था। वह कांग्रेस के नेता थे। मेरे भी नेता थे। उसमें तमाम तरह के लोग आ गए थे जब उन्होंने राजा-महाराजाओं से बातचीत की थी। उन्होंने यह भी फ़रमाया था कि राजा ग्वालियर ने इतना धन दिया है, इतनी जायदाद दी है कि अगर उसका सूद गिना जाए तो उस सूद से यह सब कुछ अदा हो सकता है। उन्होंने खुशी से यह धन दिया था, इसको हमें तसलीम करना चाहिये। जिन्होंने उस वक्त पीपुल्ज़ वार का नारा लगाया था उनको तो आज आप गले लगा रहे हैं, इंदिरा और वे आज एक हैं, लेकिन इनको आप गले लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। जब सरदार पटेल ने वादा किया था तब उनके सामने सिर्फ बदमाश राजा नहीं थे। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सरदार पटेल भी उसमें शामिल थे और हम भी थे। ये लोग तो नहीं थे।

हमें मालूम है कि उस जंगे आज़ादी में महाराजा नाभा ने, महाराजा अलवर ने, महाराजा बीकानेर ने खुलकर पैसा दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने में हमारी पूरी मदद की थी, सहायता की थी। उन्होंने खुलकर पैसा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमें दिया था। मैं समझता हूं कि सरदार पटेल के सामने ये सब बातें थीं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो रुपया उनको मिलता है उसके साथ लाखों लोगों की किस्मत वाबस्ता है। जो मुलाज़िम उन्होंने रखे हुए थे उनको उन्होंने निकाला नहीं है। जब आप जनता की बात कहते हैं तो यह जो बेरोज़गारी फैलेगी, इसको भी आपको देखना होगा।

बी० के० डी० एक पोलिटिकल पार्टी है। उसने यह फैसला किया है कि प्रिवी पर्स जारी रहने चाहिये। यह मामूली बात नहीं है। हम चुनौती देते हैं कि कोई भी हमारे मुकाबले में आए। हम साबित करेंगे कि उनको कोई डर नहीं है। हमने भी इलैक्शन लड़ने हैं। जो ज़बान सरदार पटेल ने की थी, वह देश की ज़बान थी

और उसका आदर होना चाहिये दूसरी बात यह है कि उनकी किस्मत के साथ लाखों लोगों की किस्मत वाबस्ता है। वे बेकार हो जायेंगे। तीसरी बात यह है कि ईमानदारी से मैं समझता हूं कि अगर ये इतनी तादाद में कामयाब होकर यहां आए हैं तो इतने गुनहगार नहीं हैं।

इसका एक ही तरीका हो सकता है और वह यह है जो गांधी जी ने बताया था और जिसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है। राजाओं से अपील की जाए कि वे वालेंटैरिली इसको छोड़ दें। जिनको रात को परमिट जारी होता है और सुबह वे तीन लाख के मालिक हो जाते हैं, रात को कोटा मिलता है और सुबह तीन लाख के मालिक हो जाते हैं, इन राजाओं से तो वे छोटे राजा हैं। आप जोश में न आएं। आप घबरायें नहीं। गांधी जी घबराते नहीं थे। जो ज़बान दी थी वह पूरी होनी चाहिये।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگانوں): ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ اس سوال پر ہم نے دو دن وچار کیا مجھے مانیہ مدھولمئے اور روی رائے کی بڑی عزت ہے۔ کانگریس والوں کی بھی بڑی عزت ہے۔ کیونکہ میرے ساتھی رہے ہیں۔ لیکن جب اصول کی بات آتی ہے تو ہمیں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ جو اس کی بدھی کہے اس کے مطابق اپنی بات عرض کرے۔ جب ہم ڈو اور ڈائی کی موومنٹ لڑ رہے تھے اور ہمارے نوجوان گولیاں کھا رہے تھے اور جیلوں میں جا رہے تھے اس وقت کچھ لوگ تھے۔ جو پیپلس وار کا نعرہ لگا کر دیش کو سبوتاژ کر رہے تھے۔ لیکن میں ان کا کوئی گلا نہیں کرتا کیونکہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا۔ آج بھی اگر ان کے دماغ میں سوائے بھارت کے اور کوئی نقشہ نہ ہو۔ کسی باہر کے ملک کا نقشہ نہ ہو۔ تو میں ان کی پوجا کروں گا۔ کیونکہ انھوں نے قربانیاں بہت پہلے کی تھیں۔

یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹریٹر تھے۔ اگر وہ ٹریٹر تھے تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری پردھان منتری سے بھی زیادہ ووٹ ایک رانی کو ملے ہیں اور وہ کامیاب ہو کر آئی ہے۔ ہم کو ماننا ہوگا کہ جنتا ان سے دکھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اگر دکھی ہوتی تو آج راجے مہاراجے اتنی زیادہ تعداد میں کیسے کامیاب ہو کر آتے۔

یہاں پر جنتا کا نام لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنتا نہیں چاہتی ہے کہ ان کو پریوی پرس ملے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جنتا ان کو لوک سبھا میں کیوں بھیجتی۔ وہ نامزد ہو کر تو آئے نہیں ہیں۔

ایک بات میں سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سردار پٹیل نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا جانا چاہئے۔ وہ وعدہ انھوں نے ایز ہوم منسٹر کیا تھا۔ وہ کانگریس کے نیتا تھے۔ میرے بھی نیتا تھے۔ اس میں تمام طرح کے لوگ آ گئے تھے۔ جب انھوں نے راجہ مہاراجاؤں سے بات چیت کی تھی۔ انھوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ راجہ گوالیار نے اتنا دھن دیا ہے۔ اتنی جائداد دی ہے کہ اگر اس کا سود گنا جائے تو اس سود سے یہ سب کچھ ادا ہو سکتا ہے۔ انھوں نے خوشی سے یہ دھن دیا ہے اسکو ہمیں تسلیم کرنا چاہئے۔

جنھوں نے اس وقت پیپلز وار کا نعرہ لگایا تھا۔ ان کو تو آج گلے لگا رہے ہیں۔ اندرا اور وہ آج ایک ہیں۔ لیکن ان کو آپ گلے لگانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جب سردار پٹیل نے وعدہ کیا تھا تب ان کے سامنے صرف بدمعاش راجہ نہیں تھے۔ جب آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو سردار پٹیل بھی اس میں شامل تھے۔ اور ہم بھی تھے۔ یہ لوگ تو نہیں تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس جنگ آزادی میں مہاراجہ نابھا نے۔ مہاراجہ الور نے۔ مہاراجہ بیکانیر نے کھل کر پیسہ دیا تھا۔ اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے میں ہماری پوری مدد کی تھی۔ سہائتا کی تھی۔ انھوں نے کھل کر پیسہ انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑنے کے لئے ہمیں دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردار پٹیل کے سامنے یہ سب باتیں تھیں۔

میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو روپیہ ان کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی قسمت وابستہ ہے۔ جو ملازم انھوں نے رکھے ہوئے تھے ان کو انھوں نے نکالا نہیں ہے۔ جب آپ جنتا کی

بات کہتے ہیں۔ تو یہ جو بے روزگاری پھیلے گی اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔

بی۔ کے۔ ڈی۔ ایک پولٹیکل پارٹی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پروی پرس جاری رہنے چاہئیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم چنوتی دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے مقابلے میں آئے۔ ہم ثابت کریں گے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم نے بھی الیکشن لڑنے ہیں جو زبان سردار پٹیل نے کی تھی وہ دیش کی زبان تھی اور اس کا آدر ہونا چاہئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قسمت کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی قسمت وابستہ ہے۔ وہ بے کار ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمانداری سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتنی تعداد میں کامیاب ہو کر یہاں آئے ہیں تو اتنے گناہ گار نہیں ہیں۔

اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے جو گاندھی جی نے بتایا تھا اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ راجاؤں سے اپیل کی جائے کہ وہ والینٹرلی اس کو چھوڑ دیں۔ جن کو رات کو پرمٹ جاری ہوتا ہے۔ اور صبح وہ تین لاکھ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ رات کو کوٹا ملتا ہے اور صبح تین لاکھ کے مالک ہو جاتے ہیں ان راجاؤں سے تو وہ چھوٹے راجہ ہیں۔ آپ جوش میں نہ آئیں آپ گھبرائیں نہیں۔ گاندھی جی گھبراتے نہیں تھے۔ جو زبان دی تھی وہ پوری ہونی چاہئے۔]

SHRI PILOO MODY : **

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record. (*Interruption*) Order, order. Shri Anantrao Patil.

SHRI ANANTRAO PATIL (Ahmednagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to ask only two or three questions of the Home Minister. As I have a bad throat, I am not going to speak. After giving an assurance in this House, I would like to know whether the Home Minister has failed during his talks with the princes to find a solution. If the talks are inconclusive, till what stage have the talks reached ? Has the Government decided to wait till the outcome of the talks is known ? Suppose the talks fail, then, what action do the Government contemplate to take immediately ? If the demand in the resolution to abolish the privy purse by second October is not practicable, then is the Government prepared to bring in an amendment to the Constitution in the next session ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़): मैं अपनी बात को प्रारम्भ करना चाहता हूं वहां से जब लंदन में महात्मा गांधी गोल मेज़ कान्फ्रेंस में गए थे अपने साथियों को लेकर। उस समय जब स्वतंत्रता की बात गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने रखी तो अंग्रेजों ने उनसे एक प्रश्न किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र गोल मेज़ कान्फ्रेंस की उस कार्रवाई को पढ़ें और पुष्टि करें कि मेरी यह बात कहां तक सत्य है। अंग्रेज़ों ने पूछा कि अगर हम आपके देश को स्वतंत्र कर भी दें तो इन साढ़े पांच सौ देशी रियासतों का क्या होगा ? गांधी जी एक क्षण के लिए चुप हो गए क्योंकि वह रियासतों का प्रतिनिधित्व अपनी ओर से नहीं कर सकते थे। सरोजनी बहन की ओर उन्होंने देखा। वह भी अकस्मात कोई उत्तर न दे सकीं। मालवीय जी भी कोई उत्तर नहीं दे सके। लेकिन गोल मेज़ कान्फ्रेंस में गांधी जी के साथ जो प्रतिनिधि भारत से गए थे उनमें एक देशी रियासतों का प्रतिनिधि भी था। उसने बिना किसी संकोच के गोल मेज़ कांन्फ्रेंस में अपनी ओर से यह बात कही कि अगर सिर्फ देशी रियासतों की वजह से हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता रुकी हुई है तो कल आप हिन्दुस्तान को आजाद करें, हम सारी रियासतों का भारत के अन्दर विलय कर देंगे। यह गोल मेज़ कान्फ्रेंस के रिकार्ड पर है।

मैं चाहूँगा कि मेरे मित्र गोलमेज़ कान्फ्रेंस के रिकार्ड को उठा कर देखें।

15 अगस्त, 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, तो राजा-महाराजाओं की कसौटी की घड़ी

**Not recorded.

आई उन्होंने गोलमेज़ कान्फ्रेंस में जो कुछ कहा था, वे शब्द ही शब्द थे, अथवा उनमें कोई व्यावहारिकता भी थी। उस समय सरदार पटेल जैसा एक कुशल व्यक्ति हमारे देश में था, जिस ने देशी रियासतों के विलय के सम्बन्ध में राजा महाराजाओं के सामने प्रस्ताव रखा। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय विभाजन के बाद भारत का क्षेत्रफल करीब साढ़े बारह लाख वर्गमील था, जिसमें से साढ़े आठ लाख वर्गमील का क्षेत्रफल देशी रियासतों में आ जाता था, अर्थात् सारे देश के क्षेत्रफल का 47 प्रतिशत देशी रियासतों में था। इसी प्रकार 31 करोड़ की जनसंख्या में से 8 करोड़ की आबादी देशी रियासतों में थी, अर्थात् कुल देश की जनसंख्या का 28 प्रतिशत देशी रियासतों में था।

अंग्रेज़ों ने जिस कानून के अन्तर्गत हमारे देश को स्वतंत्रता दी, अगर देशी रजवाड़े उसका उपयोग करते, तो भारत के सामने इस प्रकार की समस्या पैदा हो जाती कि शायद हम अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से सम्भाल भी न पाते। केवल एक ही देशी रियासत ऐसी रह गई थी, जिसको सरदार पटेल ने अपना हाथ नहीं लगाया या जिस पर सरदार पटेल की कलम नहीं लग सकी। किन कारणों से, उस पृष्ठभूमि में मैं इस समय नहीं जाना चाहता हूँ। भारत सरकार कहती है कि वह देशी रियासत भारत का अभिन्न भाग है। लेकिन संविधानिक दृष्टि से उसमें कुछ न्यूनता है। उस अकेली देशी रियासत में पिछले 22 सालों में भारत सरकार को जो अरबों रुपया खर्च करना पड़ा है, 550 राजा-महाराजाओं को प्रिवी पर्स के रूप में दी जाने वाली धनराशि शायद उसका पांचवां या दसवां हिस्सा भी नहीं होगी।

मैं अपने कथन की पुष्टि में संविधान सभा में सरदार पटेल के भाषण के अन्तिम पैराग्राफ़ को पढ़ना चाहूँगा, जो हमारी नैतिकता की भी कसौटी है, इस संसद् की भी कसौटी है और सरकार की भी। सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा :

"यदि शासकों के साथ शान्ति-वार्ता के फलस्वरूप यह समझौता नहीं हो पाता, तो वे कितनी मुसीबतें खड़ी कर देते, इसका अनुमान आज नहीं लगाया जा सकता। हमें उनके साथ न्याय करना चाहिए; स्वयं को उनके स्थान पर रख कर उनके त्याग का मूल्यांकन करना चाहिए। शासकों ने तो अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है—अपनी शासन-सत्ता अन्तरित कर दी है तथा अपनी रियासतें भारत में विलय कर दी हैं। अब इन समझौतों के दूसरे भाग को पूरा करना हमारा कर्त्तव्य है अर्थात् इस ओर से आश्वस्त होना कि प्रिवी पर्स सम्बन्धी दी गई हमारी गारण्टी सच्ची उतरे। इस सम्बन्ध में हमारा असफल होना एक विश्वासघात होगा और नयी व्यवस्था के सुस्थिरीकरण को काफ़ी आघात पहुँचायेगा।"

इस दृष्टि से नैतिकता के नाते भी हम बंधे हुए हैं। लेकिन यहां मैं एक विशेष बात यह कहना चाहता हूँ कि हमारे आश्वासन का, गृह मंत्री के आश्वासन का, सरकार के आश्वासन का और संविधान में दिये हुए आश्वासन का अपना एक मूल्य है। अगर यह सरकार अपने आश्वासनों के विपरीत कार्य करती है, तो उत्तर-प्रदेश में जमींदारों की जमींदारियों को लेकर उन्हें जो जमींदारी बांड दिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में कल सरकार यह निर्णय भी ले सकती है कि ज़मींदारी बांड्ज़ का जितना रुपया दे दिया, वह दे दिया, बाकी रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परसों यह सरकार अपने करेन्सी नोटों पर लिखे हुए इस वायदे से भी मुकर सकती है कि "आई प्रामिस टु पे···" और उस स्थिति में उसके नोट कागज़ के पत्ते मात्र रह जाएंगे।

दुनिया के दूसरे देशों ने अरबों और खरबों रुपयों का ऋण इस देश को दे रखा है। अगर यह सरकार इस तरह अपने वचनों को भंग करने लगेगी, तो वे देश सोचने लगेंगे कि जब भारत

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सरकार अपने वायदों से इस तरह मुकर जाती है, तो क्या इस देश को ऋण देना चाहिए या नहीं।

मैं उन राजा-महाराजाओं को भी जानता हूं, जिन्होंने संविधान में दी हुई सुविधाओं का कहीं-कहीं दुरुपयोग किया है लेकिन वे इक्के-दुक्के हैं। मैंने सदन में इस प्रश्न को कई बार उठाया है कि निज़ाम के हीरे-जवाहरात किस प्रकार टर्की को भेज दिये गये हैं। इस समय मैं उसके बारे में खुलासा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो राजा-महाराजा संविधान में दी हुई इन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, उनके बारे में मैंने यह संशोधन रखा है कि —

"......भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों की कर-मुक्त अदायगी को तथा उनके विशिष्ट विशेषाधिकारों को जारी रखने की, जो संविदा द्वारा तथा संविधान के अधीन उन्हें प्रत्याभूत हैं, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय में दिये गये बयानों को ध्यान में रखते हुए, समुचित जांच की जाये।"

अन्त में मैं फिर बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि नैतिक दृष्टि से हमारा यह कर्त्तव्य है कि सरदार पटेल ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर हम पूरे उतरें।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the whole question about the privileges and privy purse of the princes has been considered and examined many times on the floor of the House. On behalf of the Government, on more than two occasions I have made authoritative statements of government's policy in this matter. I heard this debate also with great interest and most of the arguments which were expressed before have been repeated. So, there is nothing particularly new in the debate as such though there was more vehemence, more emphasis and some people even introduced wrong excitement into the debate.

I would like to repeat what the position of the Government of India in this matter is. Let me make it first of all clear that government has accepted in principle the abolition of privileges and privy purses. That position is made amply clear. But, at the same time, I would like to repeat what was said before, that we propose to do it; not only propose, we have held negotiations with the princes in this matter and I think it would be in the fitness of things that we continue these negotiations with them and ultimately arrive at a decision after these negotiations are concluded.

The purpose of negotiations is that we do not consider this move of abolition of privileges or privy purses as any action against a particular class of people. This is not something which is merely meant against the princes as such. We do consider them as a patriotic class of people. They have, at a certain stage of history, served the country. Many of them are natural leaders of the people also and as such they are representing the people in this hon. House. Even at the stage of drafting the Constitution they negotiated with the then Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel in a patriotic spirit. So, it is their due. Therefore, when we say that the privy purses and privileges must be abolished it is not that we want to go against certain commitments or certain promises made to them. It is not that we have forgotten what we have said. As Shri Vajpayee himself put it very aptly and pithily, there are certain compulsions of time and history. Things are moving in a different direction. Things are moving in a particular direction in this country and possibly it requires that the decisions that we took at a certain time should be reviewed, reconsidered and re-shaped. The idea is not merely to deprive them of their purses. It has been explained during our negotiations with them that they should be given certain transitory allowances etc. Sir, as you know, I tried to hold certain negotiations with them. They could not be conclusive. At a certain stage we decided that these negotiations should better be held by our then Deputy Prime Minister, Shri Morarji Desai. Shri Desai has also held certain discussions with them. They are yet inconclusive and now it is proposed that these negotiations should be held at the highest level of the Government.

AN HON. MEMBER : The Prime Minister.

SHRI Y. B. CHAVAN : The Prime Minister and the Home Minister also will be there.

A question was asked : what we would do if the negotiations failed. It would be a wrong thing to start with a spirit of failure. When we propose to hold negotiations with the princes, we have to think of success. Why think of failures and then think "what happens in case of failure ?"

I have no dout the patriotic spirit, which prompted them to enter into negotiations and agreements with the Home Minister then, the same patriotism and the same spirit of national service would enthuse them to come to a certain agreement with the Government this time as well.

But, at the same time, I would like to make it clear that our idea is not to delay unduly the process. But these things cannot just be put into some sort of a very strict or strait-jacket of a time-table. As you know, these are negotiations which are of some complex nature. Our idea is not to delay the process of negotiations unduly. Our intentions are to complete this process, if possible, by the end of this year.

I would, therefore, request the House, taking the Government's very categorical position in this matter and thinking that we are trying to solve a very important issue and a very complex issue in a spirit of understanding, that the time factor should not be made too much of. I would, therefore, request the Mover of the Resolution, Shri Rabi Ray, and his partymen to consider this question in this national perspective and agree to withdraw the Resolution.

SHRI S. M. BANERJEE : This was the shortest speech of his career.

श्री रवि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस में जो सदस्य लोग भाग लिए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। पहला सवाल यह है कि क्या वजह है कि जिसके लिए मैंने यह संकल्प सदन के सामने रखा। असल में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे सदन में जो राजा-महाराजा लोग सदस्य हैं इनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष हमारा नहीं था और न ही है। लेकिन हम कुछ मूल्यों के लिए, कुछ वैल्यूज़ के लिए यह सवाल उठाए हैं और इस बहस से एक चीज साफ हो गई कि जब से हमारे देश को एक गणराज्य करके घोषित किया, मैं वाजपेयी जी से कहूँगा कि जब से एक रिपब्लिक के रूप में इसकी घोषणा हो गई तब से हर एक नागरिक में समानता आ गई तो फिर जिस तरीके से राजा-महाराजाओं को निजी कोष और विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, उपाध्यक्ष महोदय आप और सदन के सब लोग हमारे साथ इसमें सहमत होंगे कि हिन्दुस्तान में आज जैसे दो तरह के नागरिक हैं—एक हैं राजा-महाराजा जिनको संविधान में, कानून में, सरकार के हुक्मनामा में, विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और पिछले 22 साल में मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि निजी कोष के जरिए 105 करोड़ रुपया इन राजा-महाराजाओं को दिया गया है तो मैं चव्हाण साहब से पूछना चाहता हूं और प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी से पूछना चाहता हूँ कि कहां गयी उनकी रैडिकल इमेज, कहां गई उनकी समाजवादी चिन्तनधारा ? मैं कहना चाहता हूँ जो आदमी हिन्दुस्तान से सामन्तशाही को खत्म करना नहीं चाहता, राजा-महाराजाओं को जो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं उनको खत्म करना नहीं चाहता वह कहां गणतंत्रवादी है, समाजवादी तो दूर रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा नेहरू गांधी की जो नई तस्वीर बनी है कि वह समाजवाद चाहती हैं, यह थोथी है, नकली है और संकीर्ण है। यह कोई समाजवाद नहीं चाहती हैं, यह लोगों को धोखे में रखना चाहती हैं यह कहकर कि वह समाजवाद चाहती हैं। इन्होंने राष्ट्रीयकरण बैंकों का करके एक अच्छा काम किया और इसके लिए आर्डिनेंस जारी किया। हम उम्मीद करते थे कि इतने दिन की बहस के बाद और कांग्रेस के ए० आई० सी० सी० के अधिवेशन में प्रस्ताव करने के बाद जिसको आज दो साल बीत चुके हैं, दो साल पहले उन्होंने यह प्रस्ताव पास किया था और अभी भी चव्हाण साहब में हिम्मत नहीं है कि कोई निर्दिष्ट अवधि वह इसके लिए बांध दें कि

[श्री रवि राय]

जिसके अन्दर वह यह चीज करने जा रहे हैं। हमारे प्रस्ताव में जो आखीरी हिस्सा था जिसको कि यह खुद कांग्रेसी नेता लोग कह रहे हैं कि गांधी जी की शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, तो यह अच्छा होता कि इस साल 2 अक्तूबर को जिस दिन गांधी जी की शताब्दी का वर्ष शुरू होता है उस दिन यह संकल्प करते कि हम यह जो असमानता है, गरीबी है, गैर बराबरी है हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न नागरिकों में उसको खत्म करेंगे। मैं आपकी और इस सदन की खिदमत में गांधी जी का एक वाक्य पढ़ना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि एक नया संदेशा लेकर वह हिन्दुस्तान की राजनीति में आए थे। 1916 में काशी विश्वविद्यालय की सभा में जिस सभा में वायसराय और राजे-महाराजे लोग मौजूद थे उस सभा में राजे-महाराजों को सामने देखकर गांधी जी कहते हैं, यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा छपी हुई है, गांधी जी का यह वाक्य है :

> "I now introduce you to another scene. His Highness the Maharajah who presided over our deliberations spoke about the poverty of India. Other speakers laid great stress upon it. But what did we witness in the great *pandal* in which the foundation ceremony was performed by the Viceroy ? Certainly, a most gorgeous show, an exhibition of jewellery which made a splendid feast for the eyes of the greatest jeweller who chose to come from Paris. I compare with the richly bedecked noblemen the millions of the poor. And I feel like saying to these noblemen : "There is no salvation for India unless you strip yourselves of this jewellery and hold it in trust for your countrymen in India." ("Hear, hear" and Applause)"

उपाध्यक्ष महोदय, यह 1916 का गांधी जी का कथन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगे चलकर गांधी जी ने जिस तरीके से गरम भाषण दिए उसको सुनकर एनी बेसेंट को कहना पड़ा कि गांधीजी आप रुक जाइए और गांधीजी बोलते रहे। यह रेकार्ड की बात है। गांधीजी के शब्दों से सब राजा-महाराजा जो उस सभा में मौजूद थे वे सभा छोड़कर चले गए। मैं यह इसलिए सदन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि चव्हाण साहब, श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी और जो कांग्रेस वाले मौजूद हैं वे सुन लें कि 1916 से गांधीजी ने गैर बराबरी और आर्थिक विषमता जो हमारे देश में है उसके खिलाफ आवाज बुलन्द की थी। जो सदस्य करारनामे की नजीर देना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं उन आदमियों में से हूं और लेनिन के उस कथन पर विश्वास रखता हूँ कि जो साम्राज्यवादियों से करारनामे राजाओं के हुए थे उनको खत्म करना चाहिए था लेकिन मैं जानता हूं कि पार्टिशन को मान करके यह सरकार हिम्मत खो चुकी थी और आज मैं कहना चाहता हूं, आज का जो दिन है उपाध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र से आये हैं और खुद चव्हाण साहब महाराष्ट्र से आये हैं, आज के दिन का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, आज तिलक जयन्ती है और सत्याग्रह दिवस भी है। आज के दिन गांधी जी ने दुनिया में जहां गैर बराबरी है, जहां असमानता है, जहां अन्याय है उसके खिलाफ लड़ने के लिए सत्याग्रह का अस्त्र हमको दिए थे और इसलिए 1921 से आज के दिन को हम सत्याग्रह दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर इस विषय पर बहस हो रही है। लेकिन मैं तो बड़ा निराश हुआ। मैं चाहता था कि चव्हाण साहब जो हमारे प्रस्ताव का सबसे अच्छा अवधि निर्धारित करने वाला अंश था उसको वह मानें लेकिन वह उन्होंने नहीं माना। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो नारा दे रही है समाजवाद को कायम करने के लिए वह थोथा है, नकली है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि सदन हमारे संकल्प को मान ले। यह सगुण प्रस्ताव है।

निर्गुण प्रस्ताव नहीं है। चव्हाण साहब की तरह निर्गुण प्रस्ताव नहीं है। इसमें कहा गया है कि 2 अक्तूबर तक गांधी जी की जन्म शताब्दी के अन्दर इस प्रस्ताव को मानें और इसके लिए

बिल लाया जाय कि राजाओं का जो निजी भत्ता है उसको खत्म किया जाय ।

इसलिए मैं इस पर जोर देता हूं । मैं प्रस्ताव को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि यह सिद्धांत का सवाल है, यह मूल्यों का सवाल है, यह हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र को मजबूत करने का सवाल है । इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन बहुमत से हमारे प्रस्ताव को पारित करके सदन की और गणतंत्र की गरिमा की रक्षा करेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are a number of amendments. First I will dispose them of and then I will come to the main Resolution.

There is an amendment (No. 1) moved by Shri Supakar.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: I withdraw it.

The amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, there are amendments Nos. 2 and 3 moved by Shri Ranjeet Singh.

SHRI RANJEET SINGH (Khalilabad): I do not press them. I accept the Government's stand and I withdraw them.

The Amendments Nos. 2 and 3 were, by leave, withdrawn

17 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Amendment No. 4. Is Mr. Prakash Vir Shastri pressing it?

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I now put Amendment No. 4, moved by Shri Prakash Vir Shastri to the vote of the House.

The question is :

"That in the resolution,—

for "is against the democratic and egalitarian principles enshrined in the Constitution"

substitute—

"guaranteed to them by compact and under the Constitution be properly examined taking into account the statements made in the matter by the Government of India from time to time". (4)

The motion was negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is Mr. Ranjeet Singh pressing his amendment?

SHRI RANJEET SINGH: I would like to withdraw my amendment.

Amendment No. 7 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Partap Singh.

SHRI PARTAP SINGH (Simla): I would also like to withdraw my amendment.

Amendment No. 8 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sheo Narain.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): I would also like to withdraw my amendment.

Amendment No. 9 was by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Prakash Vir Shastri. Amendment No. 10.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं वापस लेना चाहता हूं ।

Amendment No. 10 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I put the main Resolution to the vote of the House.

The question is :

[Mr. Deputy Speaker]

"This House is of opinion that the continuation of tax-free payment of privy purses to the former rulers of Indian States and of special privileges is against the democratic and egalitarian principles enshrined in the Constitution, and therefore recommends to the Government to take all necessary steps, both executive and legislative, to complete the abolition of these payments, subject to an outright rehabilitation lump-sum payment of seven times the annual privy purse amount or a sum of one million rupees, whichever is smaller, by the 2nd October, 1969."

The Lok Sabha divided

Division No. 12 **AYES** [17.07 Hrs.

Abraham, Shri K. M.
Atam Das, Shri
Banerjee, Shri S. M.
Biswas, Shri J. M.
Chakrapani, Shri C. K.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Dwivedy, Shri Surendranath
Esthose, Shri P. P.
Gopalan, Shri P.
Haldar, Shri K.
Jha, Shri Bhogendra
Kalita, Shri Dhireswar
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Khan, Shri Ghayoor Ali
Madhukar, Shri K. M.
Mandal, Shri B. P.
Meghachandra, Shri M.
Menon, Shri Vishwanatha
Misra, Shri Jageshwar
Molahu Prasad, Shri
Nambiar, Shri
Nath Pai, Shri
Patil, Shri N. R.
Ramji Ram, Shri
Ray, Shri Rabi
Sambhali, Shri Ishaq
Satya Narain Singh, Shri
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Ramavater
Shastri, Shri Sheopujan
Viswambharan, Shri P.
Yadav, Shri Jageshwar
Yadav, Shri Ram Sewak

NOES

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Ahmed, Shri F. A.
Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Ankineedu, Shri
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Birla, Shri R. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Brij Raj-Singh-Kotah, Shri
Brijendra Singh, Shri
Burman, Shri Kirit Bikram Deb
Buta Singh, Shri
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavhan, Shri Bharat Singh
Chavan, Shri D. R.
Chavan, Shri Y. B.
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhury, Shri J. K.
Damani, Shri S. R.
Dandeker, Shri N.
Das, Shri N. T.
Dasappa, Shri Tulsidas
Deo, Shri K. P. Singh
Deo, Shri P. K.
Deshmukh, Shri B. D.
Dhrangadhra, Shri Srirajji Megh Sajji
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Digvijai Nath, Shri Mahant
Dixit, Shri G. C.
Divedi, Shri Nagashwar
Ering, Shri D.
Gajraj Singh Rao, Shri
Gandhi, Shrimati Indira
Gautam, Shri C. D.
Ghosh, Shri Bimalkanti
Ghosh, Shri P. K.
Girraj Saran Singh, Shri
Gowd, Shri Gadilingana
Gowder, Shri Nanja
Gupta, Shri Kanwar Lal
Gupta, Shri Lakhan Lal
Hari Krishna, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jahdav, Shri V. N.
Jagjiwan Ram, Shri
Kahandole, Shri Z. M.
Kamble, Shri
Karan Singh, Dr.
Karni Singh, Dr.
Kavade, Shri B. R.
Khan, Shri H. Ajmal
Khan, Shri M. A.
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Khanna, Shri P. K.
Kothari, Shri S. S.
Kotoki, Shri Liladhar
Krishnan, Shri G. Y.
Kureel, Shri B. N.
Kushok Bakula, Shri
Kushwah, Shri Yashwant Singh
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Lobo Prabhu, Shri
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Maharaj Singh, Shri
Majhi, Shri Mahendra
Malhotra, Shri Inder J.
Mandal, Dr. P.
Mane, Shri Shankarrao
Marandi, Shri
Masuriya Din, Shri
Mehta, Shri Asoka
Mehta, Shri P. M.
Menon, Shri Govinda
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mody, Shri Piloo

Mohamed Imam, Shri J.
Mohammad Yusuf, Shri
Mohinder Kaur, Shrimati
Mukerjee, Shrimati Sharda
Mukne, Shri Yeshwantrao
Muthusami, Shri C.
Naghnoor, Shri M. N.
Naik, Shri G. C.
Naik, Shri R. V.
Nayar, Shri K. K.
Nayar, Shrimati Shakuntala
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manibhai J.
Patil, Shri Anantrao
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. D.
Patil, Shri T. A.
Patodia, Shri D. N.
Prasad, Shri Y. A.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Rajani Devi, Shrimati
Rajasekharan, Shri
Ram, Shri T.
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Ranga, Shri
Ranjeet Singh, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Dr. V. K. R. V.
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri M. N.
Reddy, Shri R. D.
Reddy, Shrimati Sudha V.
Sadhu Ram, Shri
Saleem, Shri M. Yunus
Salve, Shri N. K. P.
Sambasivam, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Sethuraman, Shri N.
Shah, Shrimati Jayaben
Shah, Shri Manabendra
Shah, Shri T. P.
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharda Nand, Shri
Sharma, Shri Narain Swarup
Sharma, Shri Ram Avtar
Sharma, Shri Yajna Datt
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri D. V.
Singh, Shri J. B.
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Solanki, Shri P. N.
Solanki, Shri S. M.
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Sondhi, Shri M. L.
Supakar, Shri Sradhakar
Suraj Bhan, Shri
Sursingh, Shri
Swaran Singh, Shri
Tapuriah, Shri S. K.
Tiwary, Shri K. N.
Tula Ram, Shri
Tyagi, Shri Om Prakash
Uikey, Shri M. G.
Vajpayee Shri Atal Bihari
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Prem Chand
Vidyarthi, Shri R. S.
Virbhadra Singh, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the division is : Ayes—33, Noes—176.

The motion was negatived

———

17.09 hrs.

[SHRI PRAKASH VIR SHASTRI *in the Chair.*]

RESOLUTION RE: NATIONALISATION OF FOREIGN TRADE, GENERAL INSURANCE, etc.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh) : I beg to move :

"This House resolves that in order to achieve socialistic pattern of society which is the declared policy of the Government necessary steps such as: (a) nationalisation of foreign trade, general insurance and steel industry ; (b) taking over of all foreign investment in India ; (c) fixing of ceiling on urban property ; and (d) eradication of black money through demonetisation of the currency be taken by the Government without any further delay."

The resolution which I have moved is as a result of...

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I raise a constitutional objection.

Before she proceeds I would like to press my constitutional objection. It is the fashion to-day for the Congress to run faster than the Communist.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : What is the point of order ?

SHRI LOBO PRABBU : I have a right to object on constitutional grounds.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : There is no point of order.

*Shri Madhu Limay also recorded his vote for 'AYES' :